

प्रेषक,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 16 जुलाई, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का विधायक निधि योजनान्तर्गत व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्गत विधायक निधि मार्गनिर्देशिका के बिन्दु 9.1 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है।

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है :-

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवनीया,
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या: /XI/18/56()200 TCI, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधायी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव